झारखण्ड विधान सभा

अल्प सूचित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा

पंचम-सत्र

वर्ग-04

निम्नलिखित अल्प-सूचित प्रश्न, गुरूवार, दिनांक- 13 फाल्गुन, 1937 (श0) / 03 मार्च, 2016 (ई0) को झारखण्ड विधान-सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगे :-

क्रमांक	विभागों को भेजी गई सां0 सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
'क'54	अ0सू0-25	श्री राजकुमार यादव	दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई	कृषि,पशु0 एवं सह0	17.02.16
112.	अ0सू0-03	श्री राधाकृष्ण किशोर	योजना बनाना	जल सं0	06.02.16
113.	अ0सू0-29	प्रो0 स्टीफन मराण्डी	त्वरित कार्रवाई कराना	जल सं0	17.02.16
114.	अ0सू0-32	श्रीमती गीता कोड़ा	पदाधिकारी पर कार्रवाई	कल्याण	17.02.16
115.	अ0सू0-24	श्री शिवशंकर उराँव	कुपोषण से मुक्त कराना	महि0बा0 वि0 एवं सा0सुरक्षा	17.02.16
116.	अ0सू0-36	श्री निरल पुरती	अध्यक्ष आदिवासी समुदाय से मनोनीत करना	कल्याण	19.02.16
117.	अ0सू0-19	श्री प्रदीप यादव	जाँच कराना	ऊर्जा	12.02.16
118.	अ0सू0-39	श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी	बिरसा आवासों को पूरा कराना	कल्याण	22.02.16
119.	अ0सू0-18	श्री प्रदीप यादव	पदाधिकारियों पर कार्रवाई	खा0सार्व0 वि0 एवं उप0मामले	12.02.16
* 120.	अ0सू0-22	श्रीमती गंगोत्री कुजूर	जल संरक्षण	जल सं0	15.02.16

नोट-"क"-54,दिनांक-25.02.2016 से सदन द्वारा दिनांक-03.03.2016 के लिए स्थगित।

राँची
दिनांक-03 मार्च, 2016 ई0।

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

* जल संसाधन विभाग के ज्ञापांक- 1434 दिनांक- 01.03.16 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग में स्थानांतरित।

ज्ञाप संख्या-प्रश्न-01/2016-......1784....../वि०स०, राँची, दिनांक- 29/02/2016 ई०।

प्रतिलिपिः- झारखण्ड विधान-सभा के माननीय सदस्यगण/ मुख्यमंत्री/ मंत्रिगण/ संसदीय कार्य मंत्री/ **मुख्य सचिव** तथा राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(गुरुचरण सिंकु) 29.2.16

उप सचिव, झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या-प्रश्न-01/2016-......1784....../वि०स०, राँची, दिनांक-29/02/2016 ई०।

प्रतिलिपिः- **अध्यक्ष महोदय** के आप्त सचिव/ सचिवीय कार्यालय, झारखण्ड विधान-सभा, राँची को क्रमशः माननीय **अध्यक्ष** महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय एवं अपर सचिव (प्रश्न) के सूचनार्थ प्रेषित।

29.2.16

उप सचिव, झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

एस०कुमार/-

दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई ।

"क"54. श्री राज कुमार यादव--क्या मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि श्री अरूण पाण्डेय, सहायक निदेशक (गव्य) जो गव्य विकास निदेशालय में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के रूप में कार्य करते हुए दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 को सेवानिवृत्त हुए हैं तथा अपना प्रभार श्री चन्द्र कुमार सिंह, सहायक निदेशक (गव्य) को दिया गया है, जिसमें उक्त तिथि तक रोकड़ पंजी में शेष राशि शून्य दिखाया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि भारतीय स्टेट बैंक, धुर्वा में खाता संख्या 32495634956 संधारित है जिसमें दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 को विभागीय योजनाओं की कुल राशि 10,27,53,212/- (दस करोड़ सत्ताईस लाख तिरपन हजार दो सौ बारह) मात्र शेष है और रोकड़ पंजी में श्री पाण्डेय द्वारा इसे छुपाते हुए शून्य दर्ज कर प्रभार दिया गया है;

(3) क्या यह बात सही है कि इतनी बड़ी राशि से झारखण्ड के गरीब कृषकों को समय पर समुचित लाभ मिल सकता था जिसे श्री पाण्डेय ने अपने अधीन रखा एवं इसकी जानकारी को सरकार के संज्ञान में नहीं लाया;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार श्री पाण्डेय के कार्यावधि के इनके रोकड़ एवं भण्डार से संबंधित अभिलेखों की जाँच करा कर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री

(1) श्री अरूण कुमार पाण्डेय, सहायक निदेशक (गव्य) के पद पर पदस्थापित थे तथा निदेशालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के रूप में कार्यरत थे । दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 को श्री पाण्डेय सेवानिवृत्त हुए हैं तथा श्री पाण्डेय द्वारा रोकड़ पंजी में शून्य रोकड़ शेष दिखाते हुए प्रभार सौंपा गया है ।

(2) गव्य विकास निदेशालय के योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निदेशालय अन्तर्गत एकमात्र एक चालू खाता सं०-32495634956 भारतीय स्टेट बैंक, HEC कॉलोनी, धुर्वा, राँची में संधारित है, जिसमें विभिन्न विभागीय योजनाओं की राशि को संधारित किया जाता है ।

(3) यह राशि मूलतः NMPS एवं दुग्ध शीतक केन्द्रों की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण की योजना की शेष बची राशि है । पशुपालकों द्वारा कार्य सम्पन्न कराने के पश्चात् जाँचोपरान्त राशि का भुगतान किया जा रहा है । अतएव यह राशि सरकार के संज्ञान में है एवं तदनरूप उपयोग की जा रही है ।

(4) रोकड़ बही में प्रथम दृष्टया राशि के दुरूपयोग एवं गबन का मामला प्रतीत नहीं होता है, परन्तु रोकड़ पंजी से अलग Ledger खोलकर रखे जाने के कारण इसे स्थापित वित्तीय प्रक्रियाओं के प्रतिकूल मानते हुए श्री पाण्डेय तत्कालीन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से कारण पृच्छा किया गया है ।

1. भारतीय स्टेट बैंक, HEC कॉलोनी, धुर्वा, राँची के चालू खाता सं०-32495634956 में अव्यवहृत राशि का विस्तृत विवरणी निम्नवत है:-

(i) साईलेज -10,5000.00 रुपये

वित्तीय वर्ष 2013-14 में स्वीकृत योजना में से एक लाभुक का अनुदान अव्यवहृत राशि चालू खाता में जमा है ।

(ii) Construction Security money – **2374493.00 रुपये**

विभिन्न निर्माण कार्य से संबंधित सुरक्षा जमा राशि रुपये 1859828.00 एवं निर्माण कार्य विपत्र के विरुद्ध निकासी की गई राशि रुपये 514665.00 जिसका भुगतान निर्मित भवन के हस्तांतरण नहीं होने के कारण लम्बित है एवं चालू खाता मे राशि जमा है ।

(iii) Milk Parlour – **7061731.00 रुपये**

वित्तीय वर्ष 2013-14 मे स्वीकृत योजना मिल्क पार्लर एवं मिल्क पोर्टेबल बूथ निर्माण अव्यवहृत राशि चालू खाता मे जमा है ।

(iv) **दुग्ध शीतक केन्द्र की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण –55212191.00 रुपये**

वित्तीय वर्ष 2013-14 मे स्वीकृत योजना दुग्ध शीतक केन्द्र की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण की योजना मे से दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों के माध्यम से संचालित डेयरी के व्यय प्रतिपूर्ति आवश्यक जाँचोपरान्त किया जा रहा है । माह, फरवरी 2016 मे हजारीबाग जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० का दुग्ध परिवहन विपत्रों का भुगतान संबंधित दुग्ध परिवहनकर्त्ता को RTGS के माध्यम से किया गया है ।

(v) NMPS –**37966303.00 रुपये**

वित्तीय वर्ष 2012-13 मे स्वीकृत योजना नेशनल मिशन फॉर प्रोटिन सप्लीमेंट के तहत TSP, OSP तथा SCSP के लाभुकों को दुधारू मवेशी के लिए मिल्कींग मशीन, डीप बोरिंग, कैटेल शेड निर्माण, खोआ/पेड़ा मेकिंग मशीन, बल्क मिल्क कूलर आदि के लिए अनुदान दिया जा रहा है । आवश्यक जाँचोपरान्त अनुदान राशि का भुगतान किया जाता है ।

उक्त के संदर्भ मे गव्य विकास निदेशालय, झारखण्ड को संसूचित भी किया गया है ।

---

(112)

श्री राधाकृष्ण किशोर, स०वि०स० द्वारा दिनांक 03.03.2016 को पूछा जानेवाला अल्प सूचित प्रश्न सं०–अ०सू०–3 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बाज सही है कि झारखण्ड प्रदेश में समुचित जल प्रबंधन के अभाव में भू–गर्भीय जल का निरंतर ह्रास हो रहा है ?	आंशिक स्वीकारात्मक। राज्य के सभी जिलों में स्थित सरकारी भवन एवं शैक्षणिक संस्थानों में वर्ष 2005–06 से ईमारतों के छतों के वर्षा जल को एकत्रित कर भूगर्भ जल को पुनर्भरित किया जा रहा है।
2.	क्या यह बात सही है कि विगत तीन वर्षो से निरंतर कम वर्षा होने के कारण राज्य का जलस्तर 04 से 06 मीटर नीचे चला गया है, फलस्वरूप मात्र 04 प्रतिशत ही भूमिगत जल रिचार्ज हो पा रहा है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। तीनों वर्षो के जलस्तर की तुलना करने पर ज्ञात हो रहा है कि अधिकतम जलस्तर गिरावट प्री मॉनसून में 4.35 मीटर तथा पोस्ट मॉनसून में 4.50 मीटर तक है। (सूची संलग्न) केन्द्रीय भूजल पर्षद, राँची से विमर्श के आलोक में राज्य में वर्षा जल का रिचार्ज 15 प्रतिशत से 20 प्रतिशत है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बताएगी कि झारखण्ड प्रदेश में जल संग्रहण कर भू–गर्भीय जल स्तर को ऊँचा उठाने के लिए कौन सी व्यापक योजना बनाना चाहती है ?	झारखण्ड प्रदेश में भूजल स्तर को ऊँचा उठाने के लिए नागरिकों को रेनवाटर हार्वेस्टिंग के तरीकों को अपनाने के लिए जागरूक किया जा रहा है तथा इस अभियान के लिए समय–समय पर विभिन्न मेलों में स्टॉल लगाया जाता है। वर्ष 2015 में तीन स्टॉल लगाया गया था। अभी तक राज्य में 220 रिचार्जपिटों का निर्माण कराया जा चुका है। (सूची संलग्न) वर्ष 2016–17 तक 30 अदद रूफटॉप रेनवाटर रिचार्ज पिट बनाने हेतु विभाग से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। भूगर्भ जल अधिनियम बनने की प्रक्रिया में है। वर्तमान में CGWB के साथ प्रथम चरण में राज्य के Over exploited Blocks में Aquifer Mapping का कार्य कराया जा रहा है।

झारखंड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक सं० 6/ज०स०वि०–10–अ०सू०–02/2016 (खण्ड) 1466 राँची/दिनांक 03.03.16

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखंड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक सं० प्र०–134, वि०स० दिनांक–06.02.2016 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उपसचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, कॉके, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

3. मुख्य अभियंता, योजना मॉनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/निदेशक, भू–गर्भ जल निदेशालय, राँची/प्रशाखा पदा०–6 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/3/2016

सरकार के उप सचिव (अभियंत्रण)
जल संसाधन विभाग, राँची

(113)

श्री स्टीफन मराण्डी, माननीय स.वि.स. द्वारा दिनांक–03.03.2016 को पूछा जाने वाला अ०सू० प्रश्न संख्या–29 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में 12 सिंचाई योजनाएं क्रमशः स्वर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना, अजय बराज, गुमानी, पुनासी, कोनार, अमानत, सोनुआ, अपरशंख, सुकरी रैशा, सुरंगी एवं पंचखेरो जलाशय वर्षों से अधूरे पडे है?	स्वीकारात्मक
2	क्या यह बात सही है कि योजनाए ससमय पूरा नहीं होने के कारण उन पर कुल 415.80 करोड़ की लागत राशि बढ़ाकर पुनरीक्षित 8414.59 करोड़ हो गयी है, जिसके विरूद्ध 6302 करोड़ व्यय हो गया है?	आंशिक स्वीकारात्मक। कुल 12 योजनाओं की प्रारंभिक प्रशासनिक स्वीकृति की राशि 412.32 करोड़ थी। आज की तिथि में पुनरीक्षित हो कर 8420.82 करोड़ हो गई है। इनपर अद्यतन व्यय 5857.25 करोड़ है।
3	क्या यह बात सही है कृषि विभाग के अनुसार प्रदेश में सिर्फ 11 फीसदी ही सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, जबकि जल संसाधन विभाग के अनुसार कुल 35.62 फीसदी जमीन पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध है?	जल संसाधन विभाग द्वारा कुल सृजित की जाने वाली सिंचाई क्षमता के विरूद्ध 37.41% सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है तथापि पूर्ण योजनाऐं काफी पुरानी होने के कारण कुल सिंचाई क्षमता का 50% सिंचाइ सुविधा दी जा सकी है।
4	यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जनहित में उक्त बन्द पडी योजनाओं को पूरा करवाने की दिशा में त्वरित कार्रवाई करने की इरादा रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों?	वन भूमि अपयोजन एवं भू–अर्जन के कारण योजनाए पूरी नही हुई है। विभाग द्वारा इन योजनाओं को पूरा करने हेतु त्वरित कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक :–6 / ज0स0वि0–10–अ०सू०–05 / 2016 1437 / राँची, दिनांक– 02-03-2016

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञापांक–1035 दिनांक–17.02.2016 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, चाण्डिल / ईचा–गालूडीह / राँची / मेदिनीनगर / हजारीबाग एवं प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/3/2016
(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि०)

(114)

श्रीमति गीता कोड़ा, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–03.03.2016 को पुछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–क–32 का उत्तर सामग्री।

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में पोशाक आपूर्ति प्रति छात्र 500(पाँच सौ) रूपये की दर से जिले को 4.50 करोड वित्तीय वर्ष 2014–2015 में आवंटित किया है;	कल्याण विभाग द्वारा सरकारी विद्यालयों में वर्ग–05 से वर्ग–10 तक में अध्ययनरत गरीबी रेखा के नीचे आनेवाली अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को प्रति छात्रा 500/–रूपये में दो सेट पोशाक आपूर्ति की जाती है।इसके तहत वित्तीय वर्ष 2014–15 में निम्न प्रकार से राशि आवंटित की गई है:– कोटि — आवंटित राशि (राशि लाख में) अनुसूचित जाति — 150.00 अनुसूचित जनजाति — 300.00
2	क्या यह बात सही है कि प्रति छात्र इस महगाई के समय में 500(पाँच सौ) रूपये बहुत ही कम राशि है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। पोशाक की दर में वृद्धि हेतु प्रस्ताव विभाग द्वारा तैयार किया गया है।
3	क्या यह बात सही है कि जिले को पोशाक आपूर्ति राशि आवंटित होने के बाद भी अब तक छात्रों को पोशाक वितरण नहीं किया है;	अस्वीकारात्मक। सभी जिला कल्याण पदाधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2014–15 में छात्राओं के बीच पोशाक वितरण किया जा चुका है।
2	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार छात्रों के बीच समय पर पोशाक वितरण नहीं करने वाले जिले में पदस्थापित पदाधिकारी पर कारवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो फलाफल, नहीं, तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिकाओं में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
कल्याण विभाग

ज्ञापांक–4,/ वि0स0प्र0(अल्प0)–09 / 2016 772 राँची, दिनांक:– 2/3/16

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–1027 दिनांक–17.02.16 के आलोक में 200 अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2.3.16

(एस0 के0 लाल)
सरकार के उप सचिव।

दिनांक–03.03.2016 को श्री शिव शंकर उराँव, मा0स0वि0स0 द्वारा पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–24 का उत्तर

क्रम	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि समाज कल्याण विभाग के कुल बजट का 85 प्रतिशत से अधिक राशि आंगनबाड़ी सेवाओं को संचालित करने पर व्यय होता है।	आंशिक रुप से स्वीकारात्मक है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के संशोधित बजट उद्व्यय का लगभग 56 प्रतिशत राशि आंगनबाड़ी केन्द्र से सम्बद्ध सेवाओं पर व्यय हेतु कर्णांकित है।
2.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में लगभग पाँच लाख बच्चे कुपोषित है।	आंशिक रुप से स्वीकारात्मक है। अप्रैल 2015 में वजन पखवाड़ा में एकत्रित डाटा के अनुसार आंगनबाड़ी केन्द्र में कुल 34,26,068 बच्चे–बच्चियाँ नामांकित थे, जिसमें 3008904 बच्चों का वजन किया गया। इस आधार पर 6,87,456 (22.84 %) बच्चे कुपोषित एवं 41600 (1.38 %) बच्चे कम वजन वाले पाये गये।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कुपोषित बच्चों के कुपोषण से मुक्त कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राज्य सरकार के द्वारा कुपोषण मुक्त झारखण्ड बनाने के लिए निम्नलिखित कार्य किये जा रहे है :– 1. झारखण्ड पोषण मिशन का गठन :– इसके अन्तर्गत पूरे राज्य के कुपोषित बच्चों को चिन्हित करना तथा कुपोषण के विभिन्न कारणों में हस्तक्षेप के लिए कार्यक्रम बनाये जा रहे है। 2. RTE एवं गर्म ताजा पका भोजन का वितरण :– राज्य सरकार के द्वारा कुपोषित बच्चों को RTE एवं गर्म ताजा पका भोजन का अतिरिक्त आहार उपलब्ध कराया जा रहा है। 3. वित्तीय वर्ष 2016–17 से आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आने वाले बच्चों को सप्ताह में तीन दिन अण्डा/फल उपलब्ध कराया जाना है। 4. अति कुपोषित बच्चों का MUAC Tape से बाँह माप लिया जाता है एवं तदनुसार अतिकुपोषित बच्चों को मापदण्ड के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न चयनित सरकारी अस्पतालों में अवस्थित 86 कुपोषण उपचार केन्द्रों (MTC) में उपचार हेतु भेजा जाता है।

झारखण्ड सरकार
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

ज्ञापांक – 03/म0स0 /वि0स0–67/2016 – 626 रांची, दिनांक : 02.03.2016

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–1025/वि0स0 दिनांक–03.03.2016 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आर0 इ0 पात्रो)
सरकार के उप सचिव।

(116)

श्री नीरल पुरती, स0वि0स0, द्वारा दिनांक– 03.03.2016 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या– अ०स० – 36 का उत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्न	माननीय मंत्री, कल्याण का उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड जनजातीय परामर्शदातृ परिषद् संवैधानिक संस्थान है ?	स्वीकारात्मक। भारत की संविधान की 5वीं अनुसूचि भाग बी कंडिका – 4 में वर्णित " ऐसे प्रत्येक राज्य में, जिसमें अनुसूचित क्षेत्र हैं और यदि राष्ट्रपति ऐसा निदेश दें तो किसी ऐसे राज्य में भी, जिसमें अनुसूचित जनजातीयों है किन्तु अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, एक जनजातीय सलाहकार परिषद् स्थापित की जायेगी" के आलोक में झारखण्ड जनजातीय परामर्शदातृ परिषद् का गठन किया जाता है।
2	क्या यह बात सही है कि जनजातीय परामर्शदातृ परिषद् का अध्यक्ष वर्तमान में गैर आदिवासी है ?	कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची के अधिसूचना संख्या 1279 दिनांक – 05.05.2015 के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड जनजातीय परामर्शदातृ परिषद् के अध्यक्ष के रूप में नामित हैं।
3	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड निर्माण के पश्चात जनजातीय परामर्शदातृ परिषद् के अध्यक्ष आदिवासी समुदाय से ही रहे हैं ?	स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्रावधानों के अनुरूप जनजातीय परामर्शदातृ परिषद् का अध्यक्ष किसी आदिवासी समुदाय से मनोनीत करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

02/03/16
(विजय कुमार)
सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
कल्याण विभाग

ज्ञापांक–02 / वि०स०अल्प सू०–01 / 2016(क) 774 राँची, दिनांक:– 2/3/16

प्रतिलिपि:– 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय को उनके ज्ञापांक संख्या – 1262 दिनांक – 19.02.2016 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

02/03/16
(विजय कुमार)
सरकार के उप सचिव।

श्री प्रदीप यादव, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 03.03.2016 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या अ०सू०-19 की उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री प्रदीप यादव, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि तेनघाट विद्युत निगम लिमिटेड (TVNL) के MD, (Managing Director) के पद पर नियुक्ति माननीय राज्यपाल द्वारा किये गये जाने का प्रावधान है;	स्वीकारात्मक है। प्रबंध निदेशक, तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड, के पद पर नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है। तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड (TVNL) के आर्टिकल ऑफ एशोसिएशन की धारा 49 (1)(C)में निहित प्रावधानों के तहत ही प्रबंध निदेशक, तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड (TVNL) की नियुक्ति की जाती है। प्रावधान निम्नलिखित है :— *"The Managing Director and Directors shall be appointed by the Governor in consultation with the Chairman but no such consultation would be necessary in case of the appointment of Directors representing the Government."*
2. क्या यह बात सही है कि श्री रामावतार साहु को गैर वैधानिक तरीके से सरकार अबतक M.D. बनाये हुए है जो कई गलत कार्यों को अंजाम दे रहे हैं ;	तत्कालीन अध्यक्ष, तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड (TVNL) ने कार्यालय आदेश सं. 95/14–15, दि. 07.08.14 द्वारा श्री गिरधर लाल त्रिपाठी पर आरोप गठित कर उन्हें तत्काल प्रभाव से प्रबंध निदेशक, तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड (TVNL) के पद से पदच्युत करते हुए उनके पैतृक विभाग एन.टी.पी.सी. को वापस करने का आदेश निर्गत किया गया। अध्यक्ष, टी.भी.एन.एल. के कार्यालय आदेश सं. 95/14–15, दि. 07.08.14 को रद्द करने हेतु श्री गिरधर लाल त्रिपाठी द्वारा मा. उच्च न्यायालय झारखण्ड में एक याचिका दिनांक 08.08.2014 को [wp(s)4072/14] दायर की गयी थी। उक्त याचिका की सुनवाई के क्रम में एक अन्य याचिकाकर्त्ता श्री रविन्द्र कुमार गुप्ता द्वारा श्री गिरधर लाल त्रिपाठी की नियुक्ति को गलत ठहराते हुए मा. उच्च न्यायालय, झारखण्ड में एक याचिका [wp(s)5735/14] दायर की गयी थी। माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा उक्त दोनों वादों को संलग्न करते हुए एक साथ सुनवाई करने का निर्णय लिया गया। सुनवाई के उपरांत दिनांक 13.02.2015 को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा आदेश को सुरक्षित रख लिया गया है। उक्त वादों में दिनांक 16.4.15 को मा. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में श्री गिरिधर लाल त्रिपाठी तत्कालीन प्रबंध निदेशक, TVNL की नियुक्ति संबंधित अधिसूचना दिनांक–09.05.2014 को रद्द किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध श्री त्रिपाठी द्वारा LPA No. 244/2015 एवं LPA No. 253/2014 माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के खण्डपीठ में मई 2015 में दायर किया गया था जिसे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक–08.09.15 को पारित न्यायादेश निम्न Observation के साथ निष्पादित कर दिया गया :— "Since L.P.A. No. 253 of 2015 has rendered infructuous on account of the fact that the applellant has been repatriated to his parent department (NTPC) the instant appeal also renders infructuous."

		माननीय राज्यपाल के आदेश दिनांक–24.4.15 द्वारा प्रबंध निदेशक, तेनुघाट विद्युत निगम लि0 की नियमित नियुक्ति हेतु विभागीय पत्रांक–1468, दिनांक–19.6.15 द्वारा Search-cum-selection Committee का गठन किया गया जिसकी दि. 27.8.2015 को आहुत प्रथम बैठक में प्रबंध निदेशक, तेनुघाट विद्युत निगम लि. हेतु आवश्यक अहर्ता, आयु का निर्धारण करते हुए दि. 07.10.15 को उक्त पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया। अगले प्रबंध निदेशक की नियमित नियुक्ति तक श्री रामवतार साहू को अंतरिम व्यवस्था के तहत प्रबंध निदेशक का कार्य करने हेतु आदेश दिया गया है। All India Power Engineers Federation द्वारा एक आवेदन देकर यह अनुरोध किया गया कि MD, TVNL के पद पर नियुक्ति हेतु उम्र सीमा 55 वर्ष से बढ़ाया जाय। उक्त पत्र में यह भी लिखा गया कि ऊर्जा मंत्रालय द्वारा एन.टी.पी.सी. के सी.एम.डी. के पद हेतु उम्र की अधिकतम सीमा 60 वर्ष निर्धारित थी। उक्त आवेदन एवं अन्य तथ्यों को विचारार्थ Search-cum-selection Committee के समक्ष रखा गया एवं आयु, अहर्ता आदि का पुनर्निर्धारण समिति द्वारा अपनी बैठक 04.12.15 में किया गया तथा संशोधित विज्ञापन पुनः निकाला गया जिसके आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक–20.02.2016 थी। प्राप्त आवेदनों को Search-cum-selection Committee की बैठक में शीघ्र ही रखा जा रहा है। Search-cum-selection Committee के निर्णय के बाद सक्षम स्तर के अनुमोदन के पश्चात् उक्त रिक्त पद को शीघ्र ही भर लिया जाएगा।
3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार श्री रामावतार साहु, M.D. को अविलम्ब हटाते हुए, उनके द्वारा निष्पादित गलत कार्यों का विशेष जाँच दल द्वारा जाँच कराने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?		नियमित नियुक्ति होने पर श्री साहू उक्त पद से स्वतः हट जाऐंगे। श्री साहु के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों के संबंध में तथ्यात्मक विवरणी प्राप्त किया जा रहा है। तथ्यात्मक विवरणी प्राप्त होने के उपरांत विधि सम्मत निर्णय लिया जाएगा।

झारखण्ड सरकार,

ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 637 / दिनांक 02-03-16

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/03/16

सरकार के अवर सचिव

श्री सत्येन्द नाथ तिवारी, स०वि०स० द्वारा दिनांक– 03.03.2016 को पूछा जानेवाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या– अ०सू०–39 का उत्तर सामग्री।

क्र०सं०	प्रश्न	विभागीय मंत्री का उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2002–2003 एवं 2003–2004 में गढ़वा जिले के आदिम जनजाति बहुल प्रखण्ड जैसे चिनियाँ, रंका एवं रमकंडा प्रखण्ड अन्तर्गत निर्माणाधीन 227 बिरसा आवास योजना, कल्याण विभाग की विफलता की वजह से अभी तक लंबित है ?	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 2002–03 एवं 2003–04 में गढ़वा जिला के चिनियां प्रखण्ड अन्तर्गत 284 बिरसा आवास स्वीकृत करते हुए कार्य पूर्ण कराने हेतु श्री विकन राम तत्कालीन प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी, चिनिया, गढ़वा को विभागीय अभिकर्ता बनाया गया था। उक्त 284 बिरसा आवास की प्राक्कलित राशि 15818000 के विरूद्ध श्री राम को 14102000 रू० अग्रीम तत्कालिन जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया गया। श्री राम को उक्त योजना को पूर्ण कराने हेतु बार–बार दिये गये निदेश के बावजुद भी पूर्ण नहीं कराने के स्थिति में उनके द्वारा कराये गये कार्यों का कार्यपालक अभियंता NREP से आकलन कराने के पश्चात् उन्हें 284 बिरसा आवास निर्माण हेतु उपलब्ध कराये गये अग्रिम में से उनके द्वारा प्रस्तुत मापीपुस्त आदि के सामन्जनोपरान्त 4173945 रू० एवं छात्रवृति का राशि 60520 रू० नियमानुसार व्यय नहीं करने के पश्चात् कुल 4234465 रू० का गबन करने का आरोपी माना गया, तथा प्रपत्र 'क' तैयार कर उनके विरूद्ध कार्रवाई हेतु सरकार के प्रधान सचिव, कल्याण विभाग, राँची को प्रतिवेदित किया गया। विभागीय पत्रांक– 2539, दिनांक– 13.10.2010 द्वारा सम्यक विचारोपरांत श्री विकन राम प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी को सिविल सेवा वर्गीकरण एवं अपील नियमावली 55 के अन्तर्गत बरखास्त करते हुए सिविल सेवा वर्गीकरण एवं अपील नियमावली के नियम 49(4) एवं (7) के आलोक में गबन किये गये सरकारी राशि उनके पावनाओं से समायोजन करने का निर्णय लिया गया। अतः बर्खास्त वर्ती प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी विकन राम के विरूद्ध गबन की राशि वसुली करने संबंधी कार्रवाई की जा रही है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कल्याण विभाग द्वारा बिरसा आवास योजना के 227 निर्माणाधीन बिरसा आवासों को पूरा करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	आगामी वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए बजट प्रावधानित राशि से औचित्योपरान्त नियमानुसार बिरसा आवास निर्माण के लिए राशि उपलब्ध करा दिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
कल्याण विभाग।

ज्ञापांक सं०–34/वि०स०(अ०सू०)–15/16 767 राँची, दिनांक 2/3/16

प्रतिलिपि– अवर सचिव, विधान सभा सचिवालय, राँची को ज्ञाप संख्या– 1330, दिनांक–22.02.2016 के आलोक में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2-3-16

(शैलेन्द्र कुमार लाल)
सरकार के उप सचिव।